

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्रधारा रोड़, देहरादून।

फोन नं०-0135-2608107, फैक्स नं०-0135-2608108

पत्रांक 555/अधिष्ठान/दो-21(3)/2013

दिनांक 03 अप्रैल, 2013

कार्यालयादेश

लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के पदों पर चयनित/प्रोन्नत कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये परिवहन कर अधिकारी-2 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालयादेश संख्या-2254/अधिष्ठान/दो-21(3)/2010 दिनांक 31 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित करते हुये सभी सम्बन्धितों से उस पर अभ्यावेदन मांगे गये थे। प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर सम्यक् रूप से विचार करते हुये कार्यालयादेश संख्या-196/अधि०/दो-21(3)/2011 दिनांक 21-06-2011 के माध्यम से परिवहन कर अधिकारी-2 की ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से प्रकाशित की गयी थी, जिसमें श्री पी०सी० पाण्डे की नियमित नियुक्ति का दिनांक 30-01-2009 अंकित करते हुये उनका नाम क्रमांक 10 पर दर्शाया गया है।

2- उक्त के उपरान्त श्री पी०सी० पाण्डे द्वारा परिवहन कर अधिकारी-2 के पद पर चयन वर्ष 2001-02 से प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। श्री पाण्डे को वर्ष 2001-02 से नोशनल पदोन्नति के बिन्दु पर कार्यालय के पत्र संख्या-307/अधि०/दो-51/2012 दिनांक 01-10-2012 के माध्यम से शासन से परामर्श प्राप्त किया गया। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-889/ix/110/2012 दिनांक 28-01-2013 के द्वारा निम्नलिखित परामर्श प्राप्त हुआ-

“सम्यक विचारोपरान्त श्री पाण्डे का विषय नोशनल पदोन्नति के सिद्धान्त से आच्छादित नहीं पाया है। यह भी अवगत कराना है कि पद रिक्त कभी भी हो पदोन्नति उसी दिनांक से होगी जब व्यक्ति वास्तविक रूप से पदोन्नति हुआ हो, जब तक नियमों में व्यवस्था न हो और आदेश में पूर्ववर्ती दिनांक से पदोन्नति प्रदान करने के आदेश न हो, इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती दिनांक से पदोन्नति देने का मामला नहीं बनता है।”

3- उत्तराखण्ड राज्य में सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने हेतु उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 (1) में व्यवस्था है कि-

